

74

To  
 The District Judge  
 122 Raebareli

Request-134

No 13604/11-2503, Admin dated 29.8.07

Subject Regarding Ineligibility of an Officer to be Drawing and Disbursing officer

Sir

With reference your endorsement No. 247/E-54-06 dated 23-3-2007 on the above subject I am directed to say that the application of Sri Gulab Singh

ARCM

May issue?

Dhaka  
21/8/07

Civil Judge (Senior Division) Raebareli which has been forwarded <sup>whereas it</sup> to be considered as D.D.O, has to be dealt with at your own end in view of the ~~Govt~~ letter NO 1707/Ve Pa-Pr-  
View of the ~~Govt~~ letter NO 1707/Ve Pa-Pr-  
Mise / Nyayik / 2003-04 dated 7.4.2007  
of Addl Director, Resources - Akashbad  
(Copy enclosed) <sup>kindly</sup> ~~fect~~ upon  
accordingly.

Enc - Copy of letter  
dated 7.4.07 of Addl  
Director (Resources) Add.

Done  
21/8/07

123

Yours faithfully

  
 Assistant Registrar

No 13605/11-2503, Admin dated 29.8.07

Copy forwarded to Sri Gulab Singh  
Civil Judge (Senior Division) Raebareli  
for information

  
 Assistant Registrar

888

73

Request - 134

Registrar 'B'

May kindly peruse the inland-letter dated 23.3.2007, of one Shri Gulab Singh, Civil Judge Senior Subdivision, at present posted at Rai Bareilly Judgeship, duly forwarded district-judge vide its endorsement no 247/I-54-06 dated 23.3.2007, where in Sri Gulab Singh has pray'd to be authorized as drawing and above authorizing authority as he has completed his five years service in U.P. Judicial Service.

In view of the above, if approved the aforesaid letter dated 23.3.07 of Sri Gulab Singh may be transmitted to the District-judge Rai Bareilly to do the needfull as per provisions laid down in this regard vide G.O. letter no 1707/44050/21/25as/2003-04 dated 7-4-2004, copy enclosed.

To pass any other and further order in the light of above facts and subject matter to enable the Office to do the needfull accordingly.

Submitted for approval/orders  
as proposed at A + B above.

17/8/07

If approved, the letter dated 23.3.07 of Sri Gulab Singh C.J. SD. Rai Bareilly may be forwarded to D.T. Rai Bareilly to do the needfull accordingly and Mr. Gulab Singh may also be informed.

Request-139

पत्रांक 707 /वेप०प्र०/विविध/न्यायिक/2003-04

प्रेषक,

अपर निदेशक कोषागार  
 शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, ३०प्र०,  
 नवीन कोषागार भवन, प्रथम तल, कच्चहरी रोड, इलाहाबाद ।

सेवा मे,

1. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी, ३०प्र०,
2. मुख्य लेखाधिकारी, इला चैक, अनुभाग, ३०प्र०, शासन लखनऊ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद्/श्री राज्यपाल सचिवालय, ३०प्र०,  
 लखनऊ ।

दिनांक: ५०७) अप्रैल, 2004

विषय ३०प्र०, वित्त/न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'क' की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन प्राधिकार पत्र के आधार पर देयकों के पाण के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ३०प्र०शासन वित्त(लेखा)अनुभाग-१ लखनऊ के आदेश सं० दी-१-२९०१/दस-८७ -५ (८)/७६ दिनांक ०६.०१.८८ तथा आदेश सं० ए-१-१५६५/दस-८८-५(८)/७६ दिनांक २२.०२.८९ का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा ३०प्र० वित्त एवं लेखा/न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों के वेतन तथा भत्तो आदि के लिए आहरण एवं भुगतान के लिए इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने वेतन भत्तो आदि समस्त दावों का आहरण स्वयं (Self Drawing Officer के रूप मे) किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उपर्युक्त व्यवस्था के आधीन समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जिनके गैरपुनरीक्षित बेरनमान का अधिकतम रु० १७२०/-, पुनरीक्षित रु० ४०००/- नवीन पुनरीक्षित रु० १३५००/- से अधिक है, के वेतन भत्तो आदि समस्त दावों का आहरण करने के लिए (संबंधित अधिकारी की सेवा अवधि के देयों के आहरण छेत्र), उनकी सेवा अवधि मे अथवा सेवा से निवृत्त होने पर उनके पक्ष मे प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है जिसकी मात्र एक पृष्ठांकन प्रति संबंधित कोषागार को इस कार्यालय द्वारा निर्गत की जाती है जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी अपने देयों का आहरण 'स्वयं आहरण अधिकारी' के रूप मे करते हैं।

कतिपय स्तर से यह प्रकाश मे आया है कि समूह 'क' के ऐसे अधिकारी जो उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं आहरण अधिकारी है, उनके सेवा निवृत्त की स्थिति मे उनके सेवावधि के देयों के भुगतान छेत्र उनके पक्ष मे निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र के आधार पर जब दे 'स्वयं आहरण अधिकारी' के रूप मे अपने देयकों को प्रस्तुत करते हैं तो कतिपय कोषागार द्वारा उनके ऐसे देयकों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिसके कारण स्थिति बदल और समस्यामूलक हो जाती है।

क्रमसः.....2पर

(71)

Relevant - 194

(2)

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश की व्यवस्था के अधीन समूह 'क' के उपर्युक्त अधिकारी, जो स्वयं आहरण अधिकारी घोषित किये गये हैं, जपने सेवानिवृत्त के पश्चात् भी रोवा अवधि के देयों के आहरण हेतु वे स्वयं आहरण अधिकारी बने रहते हैं, उनके इस अधिकार का अतिक्रमण नहीं होता और न ही उनके देयों के भुगतान हेतु कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागीय स्थापना द्वारा आहरण की व्यवस्था होगी। तदनुसार समूह 'क' की सेवा से सेवानिवृत्त उपर्युक्त अधिकारियों के मामले में उनके देयकों के भुगतान के निमित्त देयकों के पारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(श्रीमती पी० ए० स० मोहन कर)  
अपर निदेशक कोषागार।

प०५०स० ५८८३/व०५०प्र०/विविध/2003-04

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
 1. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/निबंधक, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।  
 2. समस्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

(श्रीमती पी० ए० स० मोहन कर)  
अपर निदेशक कोषागार।

(70)

R.B. No. 2-4-07

5-4-07

Request - 139

प्रेषक,

गुलाब सिंह,  
सिविल जजौसी. डिवी. १,  
रायबरेली।

सेवा में

महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

Register No. 5317

IV/2-503

116-

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
रायबरेली।

24-4-07

पत्रांक:

दिनांक :

विषय: स्वयंभू आहरण अधिकारी प्राधिकृत किए जाने  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त संदर्भ में मुझे विनाश निवेदन करना है कि  
‘माननीय न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1412 डी0आर0  
१८०५/२००६ दिनांक 05.08.2006 द्वारा स्थानान्तरण  
अपर सिविल जजौजू. डिवी. १ बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर से  
प्रोन्नति के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, कोर्ट नं०13,  
रायबरेली में हो गया है। वर्तमान में मैं सिविल जजौसी.डिवी. १  
रायबरेली के पद पर कार्यरत हूँ। मैं दिनांक 23.03.2001  
से न्यायिक सेवा में कार्यरत हूँ। इस प्रकार मेरी सेवा 5 वर्ष

J.R. (S)  
Regd. Gen.  
07-04-07

रायबरेली जजशिप  
संख्या 247। १-५-०६ दि.  
23.३.०२ से अधिक की हो गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्वयंभू आहरण  
अधिकारी अधिकृत किए जाने हेतु मेरे इस आवेदनपत्र को  
माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखे  
जाने की कृपा करें।

सम्मान सहित।

दिनांक १४. 03. 2007

मवदीय,  
गुलाब सिंह

S.O. (A) H

सिविल जजौसी. डिवी. १,  
रायबरेली।

4.

J.R. (S)  
9-4-07

Tr. (S)  
28/4/07

31.....

so send it

Play kindly go through

The letter, which shall  
be ~~sent~~ S.O.C. to you

Sent at ~~S.O.C.~~ up to you as  
the earliest possible date & will  
be dealt with  
according to your instructions

*Stealey*

14/5/02

so sent

The file was sent to you

You on 14/5/02 will  
be required to send it to me  
to be dealt with  
as soon as possible

10/5/02

15

(5)

S.O.C. deal with

to be dealt with  
*Stealey*  
13/5/02

17-4-07 S.I. - 5123

2225

30(वि)

प्रेषक,

(69) R.B. En 24-07  
गुलाब सिंह,  
सिविल जजूसी. डिवी. १,  
रायबरेली ।

24-07

(484)

सेवा में

Registration No.

(224)

महानिव्वधक, (24-07) IV/2503  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद। 116

द्वारा: माननीय जनाद न्यायाधीश,  
रायबरेली ।

24-07

24-4-04

पत्रांक:

दिनांक :

विषय: स्वयम् आहरण अधिकारी प्राधिकृत किस जाने  
के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त संदर्भ में मुझे विनम्र निवेदन करना है कि  
माननीय न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1412 डी0आर0  
५स0१/2006 दिनांक 05.08.2006 द्वारा मेरा स्थानान्तरण  
अपर सिविल जजूसी. डिवी. १ बांसी, जनपद सिद्धार्थगढ़ से  
प्रौन्नति के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, कोर्ट नं013,  
रायबरेली में हो गया है । वर्तमान में मैं सिविल जजूसी. डिवी. १  
रायबरेली के पद पर कार्यरत हूँ । मैं दिनांक 23.03.2001  
से न्यायिक सेवा में कार्यरत हूँ । इस प्रकार मेरी सेवा 5 वर्ष

रायबरेली जजूसी  
संख्या 247/उ54-06 दि.  
23.3.02 से अधिक की हो गयी है।

जनपद न्यायाधीश  
१ रायबरेली  
23.3.02

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्वयम् आहरण  
अधिकारी अधिकृत किए जाने हेतु मेरे इस आवेदनपत्र को  
माननीय न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखे  
जाने की कृपा करें ।

सम्मान सहित ।

दिनांक ३. 03. 2007

भवदीय,  
गुलाब सिंह,  
सिविल जजूसी. डिवी. १,  
रायबरेली ।

S.O. (Adm-A) H

(S.O.S)

(W.E.M.C)


31

J.K.S  
9-4-07

Mr. S. A. S.  
28/4/07

so Aden H.

May kindly go through  
the letter, which relates  
to Conf Sec. pt.  
See at Conf Sec. as  
the earliest possible  
will be dealt with  
according

  
14(570)